

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्वेता कोवर ( आर०ए०एस० )

मिसल न०- 23./2021

अनवान :-

1. रामेश्वर पुत्र गिगाराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।

सायल

बनाम

1. भादरराम पुत्र बेगराज जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

-गैर सायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज०

काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 25/11/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सायलान की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 16/14 की कुल 0.2530हैक व खाता संख्या 240/220 की कुल 4.6550हैक भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 159/146 की कुल 1.3920हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम एवं रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 190/177 की कुल 1.5180हैक भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृत शुद्धा रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या संख्या 1के कब्जा काश्त की भूमि खाता संख्या 159/146 के प०न० 241/412(185) के किला न० 1/2 की 0.02020हैक के मिन उत्तर की 0.013 व किला न० 2 की 0.2530हैक के मिन उत्तर की 0.13हैक में से होते हुए गैरसायल संख्या 2 के खाता संख्या 190/177 के प०न० 241/412(185) के किला न० 3 की 0.2530हैक में से उत्तरी पश्चिमी कोना की 0.001हैक व प०न० 241/411(178) के किला न० 23 मिन पश्चिम की 0.013हैक भूमि में से होते हुए अपने खेत रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 240/220 के प०न० 241/411(178) के किला न० 18 में प्रवेश कर जाता है

सायल को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायलान की भूमि में उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये यही सुविधाजनक रास्ता है।

सायल ने गैरसायल संख्या 1 की भूमि रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 159/146 के प०न० 241/412(185) के किला न० 1/2 की 0.0202हैक के मिन उत्तर की तरफ 0.0130हैक व किला न० 2 की 0.2530हैक में से मिन उत्तर की तरफ 0.0130हैक व गैरसायल संख्या 2 की भूमि रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 190/177 के प०न० 241/412(185) के किला न० 3 की 0.2530हैक में से उत्तरी पश्चिमी कोना की 0.001हैक व प०न० 241/411 (178) के किला न० 23 मिन पश्चिम की 0.0130हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 159/146 के प०न० 241/412(185) के किला न० 1/2 की 0.0202हैक के मिन उत्तर की तरफ 0.0130हैक व किला न० 2 की 0.2530हैक में से मिन उत्तर की तरफ 0.0130हैक व गैरसायल संख्या 2 की भूमि रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

190/177 के प0न0 241/412(185) के किला न0 3 की 0.2530हैव में से उत्तरी पश्चिमी कोना की 0.001हैव व प0न0 241/411 (178) के किला न0 23 मिन पश्चिम की 0.0130हैव भूमि में रास्ता स्वीकृत फरमावे बदले में भूमि देने को तैयार है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायलान की भूमि में से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है तथा सायल रास्ते की भूमि के बदले में गैरसायल संख्या 2 को राशि दी जा चुकी है तथा गैरसायल संख्या 1 को रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देने का तैयार है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

परोकार राज ने निवेदन किया की सायलान एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 देने को तैयार है किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1, 2 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनों एक दुसरे के खेत पड़ोसी है सायलान अपने खेत में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायलान के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायलान को उसके कब्जा काशत की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है अर्थात् सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काशतकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायलान एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायलान एवं गैरसायल 1, 2 की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा टोपरिया बरानी के खाता संख्या 159/146 के प0न0 241/412(185) के किला न0 1/2 की 0.0202हैव के मिन उत्तर की तरफ 0.0130हैव व किला न0 2 की 0.2530हैव में से मिन उत्तर की तरफ 0.0130हैव व गैरसायल संख्या 2 की भूमि रोही मौजा टोपरिया बरानी के खाता संख्या 190/177 के प0न0 241/412(185) के किला न0 3 की 0.2530हैव में से उत्तरी पश्चिमी कोना की 0.001हैव व प0न0 241/411 (178) के किला न0 23 मिन पश्चिम की 0.0130हैव भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायल गैरसायल संख्या 1 को रोही मौजा टोपरिया के खाता संख्या 16/14 के प0न0 246/402(71) के किला न0 11/2 की 0.012हैव व 12/2 की 0.013हैव भूमि गैरसायल संख्या 1 की भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/7/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ  
क्रमांक : राजस्व/रास्ता/2022/ दिनांक

तहसीलदार  
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने को सम्बन्ध  
में प्रार्थना-पत्र सं० 23 सन 2021 निर्णय दिनांक 25/11/2021

अनवान :-

अनवान :-

1. रामेश्वर पुत्र गिगाराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर । सायल  
बनाम्

1. भादरराम पुत्र बेगराज जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र हजारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।  
-गेर सायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा टोपरिया बाराणी के खाता संख्या 159/146 के प०न० 241/412(185) के किला न० 1/2 की 0.0202हैक् के भिन उत्तर की तरफ 0.0130हैक् व किला न० 2 की 0.2530है में से भिन उत्तर की तरफ 0.0130हैक् व गैरसायल संख्या 2 की भूमि रोही मौजा टोपरिया बाराणी के खाता संख्या 190/177 के प०न० 241/412(185) के किला न० 3 की 0.2530हैक् में से उत्तरी पश्चिमी कोना की 0.001हैक् व प०न० 241/411 (178) के किला न० 23 भिन पश्चिम की 0.0130हैक् भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायल गैरसायल संख्या 1 को रोही मौजा टोपरिया के खाता संख्या 16/14 के प०न० 246/402(71) के किला न० 11/2 की 0.012हैक् व 12/2 की 0.013हैक् भूमि गैरसायल संख्या 1 की भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कियो जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)